भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 37
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 23 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के संयंत्रों की बिक्री

37. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने संयंत्रों को बेचने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) बीआईएफआर को संदर्भित एक रुग्ण कंपनी है। इसकी 03 प्रचालनरत इकाइयां और 07 अप्रचालनरत इकाइयां हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार स्कीम और बीआईएफआर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, इसकी 07 अप्रचालनरत इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ख): 07 अप्रचालनरत इकाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-
अप्रचालनरत इकाइयां

इकाई	**अवस्थिति**
मंधार	छत्तीसगढ़
कुरकुंटा	कर्नाटक
नयागांव/नयागांव विस्तार	मध्य प्रदेश
अकलतारा	छत्तीसगढ़
चरखी दादरी	हरियाणा
आदिलाबाद @	तेलंगाना
दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	दिल्ली

@आदिलाबाद इकाई को छोड़कर सभी 07 अप्रचालनरत इकाइयों को बंद कर दिया गया है और उनकी बिक्री आरंभ कर दी गई है। आदिलाबाद इकाई को माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की वजह से बंद नहीं किया जा सका था।

******